



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276751
CG-DL-E-03102026-276751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5043]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5043]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

का.आ. 5250(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 937 दिनांक 29.02.2024 का.आ. 982(अ) दिनांक 29.02.2024 भाग (II) खण्ड (3), उपखण्ड (II) में किया गया है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य की तहसील ऊँचाहार जिला रायबरेली की भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) तक एलपीजी परिवहन के लिए आई0एच0बी0 लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) परियोजना" के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को दिनांक 21.08.2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में श्री अबुल कलाम, सक्षम प्राधिकारी, आई0एच0बी0 लिमिटेड, कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन, लखनऊ (यूपी.) ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई0एच0बी0 लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई0एच0बी0 लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामलों पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा, या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

“अनुसूची”

तहसील – ऊँचाहार

जिला – रायबरेली

राज्य – उत्तरप्रदेश

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
सुदामापुर	1140	00	00	69
	1966	00	07	50
	1963	00	02	57
	2105	00	01	74
	2110	00	00	15
	2119	00	00	99
	2128	00	01	47
	2157	00	00	73
	2163	00	01	08
	2168	00	05	20
	2191	00	00	41
	2189	00	00	99
	2187	00	00	52
	2184	00	00	90
	2238	00	00	79
मनिहर शर्की	85	00	00	78
	96	00	00	10
	261	00	01	73
	285	00	00	86
	286	00	01	04
	306	00	00	40
	352/518	00	03	11
	352	00	00	92
	350	00	00	44
	349	00	01	90
	338	00	00	85
	473/515	00	00	73
	477	00	02	50
	314	00	00	86
किशुनदासपुर	184	00	00	37
	183	00	00	39
	852	00	00	11
	853	00	00	44

तहसील - ऊँचाहार

जिला - रायबरेली

राज्य - उत्तरप्रदेश

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
	827	00	00	67
	905	00	01	99
	904	00	00	45
	1549	00	00	98
	1516	00	01	42
	1566/1809	00	02	21
सवैया हसन	657	00	00	64
मनी पुर भटेहरी	271	00	12	84
गोपालपुर उधवन	331	00	01	53
लालचन्द्रपुर इक्छनिया	139	00	01	86
गंगसरी	17	00	00	28
	59	00	01	22
	96	00	05	26
	91	00	04	68
	833	00	03	19

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I-भाग (2)/ई-57270]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2026

S.O. 5250(E).— Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No. 937 Dated 29.02.2024, S.O. No. 982(E) Dated 29.02.2024 Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and minerals pipeline(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Unchahar District Raebareli in Uttar Pradesh State, Specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla to Gorakhpur by the IHB Ltd for implementing the Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 21 August 2025.

And whereas Shri Abul Kalam, Competent Authority, IHB Limited, Kandla Gorakhpur LPG Pipeline Project, Lucknow (UP) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Ltd, free from all encumbrances.

IHB Ltd shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

"Schedule"

Tehsil: - Unchahar

District: - Raebareli

State: - Uttar Pradesh

Mouja / Village	Survey/Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
SUDAMAPUR	1140	00	00	69
	1966	00	07	50
	1963	00	02	57
	2105	00	01	74
	2110	00	00	15
	2119	00	00	99
	2128	00	01	47
	2157	00	00	73
	2163	00	01	08
	2168	00	05	20
	2191	00	00	41
	2189	00	00	99
	2187	00	00	52
	2184	00	00	90
	2238	00	00	79
MANIHAR SHARKI	85	00	00	78
	96	00	00	10
	261	00	01	73
	285	00	00	86
	286	00	01	04
	306	00	00	40
	352/518	00	03	11
	352	00	00	92
	350	00	00	44
	349	00	01	90
	338	00	00	85
	473/515	00	00	73
	477	00	02	50
	314	00	00	86
KISHUNDASPUR	184	00	00	37
	183	00	00	39
	852	00	00	11
	853	00	00	44
	827	00	00	67
	905	00	01	99
	904	00	00	45
	1549	00	00	98
	1516	00	01	42
	1566/1809	00	02	21
SAVAIYA HASAN	657	00	00	64
MANI PUR BHATEHARI	271	00	12	84
GOPALPUR UDHVAN	331	00	01	53
LALCHANDRAPUR EKACHHANIYA	139	00	01	86
GANGSARI	17	00	00	28

Tehsil: - Unchahar

District: - Raebareli

State: - Uttar Pradesh

Mouja / Village	Survey/Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
	59	00	01	22
	96	00	05	26
	91	00	04	68
	833	00	03	19

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part (2)/E-57270]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.